"बीज उद्यमी होश में है, पर होशियार नहीं"

आर.बी. सिंह, एरिया मैनेजर (सेवा निवृत) नेशनल सीड्स कारपोरेशन लि० (भारत सरकार का संस्थान) सम्प्रति – "कला निकेतन", ई–७०, विथिका संख्या–११, जवाहर नगर, हिसार–१२५००१ (हरियाणा), दूरभाष सम्पर्क – ९४६६७–४६६२९, ७९८८३–०४७७०,

rbsinghiffdc@gmail.com

बीज धरा का गहना है और धरा को जितनी उत्तम गुणवत्ता का बीज रूपी गहना प्रदान करोगे वसुन्धरा का लावण्य उतना ही प्रखर होगा। बीज की गुणवत्ता मुख्य विषय है। भारत सरकार ने वर्ष 1963 में नैशनल सीड्स कारपोरेशन की स्थापना कर बीज उत्पादन, बीज प्रमाणीकरण एवं बीज विक्रय की शुरूआत की और साथ ही वर्ष 1966 में बीज अधिनियम 1966 तथा बीज नियम 1968 बना कर गुणवत्ता युक्त बीज उत्पादन एवं वितरण का सूत्रपात किया।

1. बिना लाइसैंस बीज बिक्री :–

वर्ष 1966 में बीज अधिनियम पास हुआ। इस अधिनियम के तहत बीज उत्पादन एवं वितरण किया जाता था परन्तु कोई लाइसैंस धारी बीज विक्रेता नहीं होता था। बीज विकास के प्रारम्भिक काल में केवल अधिसूचित फसलों और किस्मों का ही बीज उत्पादन एवं वितरण होता था और बीज विक्रय हेतु कोई लाइसैंस प्रदान नहीं किया जाता था। क्योंकि ज्यादातर बीज उत्पादन एवं वितरण शासकीय संस्थानों नैशनल सीड्स कारपोरेशन, स्टेट सीड एवं फार्म कारपोरेशन, राज्य बीज निगम ही करती थी।

2. लाइसैंस प्रथा की शुरूआत :–

आठवीं दशाब्दी में निजी क्षेत्र का बीज उत्पादन, विपणन में प्रवेश हुआ, साथ ही इन्होंने अपनी किस्में विकसित की, परन्तु उन्हें अधिसूचित नहीं कराया क्योंकि किस्मों को अधिसूचित कराने की बाध्यता नहीं थी और गैर अधिसूचित किस्म का केवल टी.एल. बीज ही बन सकता है। अतः केवल टी.एल. बीज ही बना। इन किस्मों का बीज बाजार में विक्रय किया तो बीज निरीक्षक ने सैम्पल लिए तथा फेल होने पर न्यायालय में वाद डाले। न्यायालय में वाद इस कारण से गिर गये कि बीज अधिनियम की धारा 13 के अन्तर्गत नियुक्त बीज निरीक्षक केवल अधिसूचित किस्मों के प्रमाणित और लेबल बीज का ही सैम्पल लेने के लिए अधिकृत है।

अतः सभी प्रकार के सैम्पल लेने का निरीक्षक का अधिकार स्थापित करने हेतु भारत सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 से बीज नियन्त्रण आदेश 1983 की रचना की जिसके तहत लाइसैंस लेकर बीज विक्रय प्रारम्भ हुआ।

3. बीज नियन्त्रण आदेश 1983 को चुनौती :–

यद्यपि भारत सरकार ने बीज नियन्त्रण आदेश लागू कर दिया परन्तु श्री संग्राम सिंह चौधरी, अध्यक्ष, इंडियन फारमर्स एसोसिएशन ने माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली से बीज नियन्त्रण आदेष के विरूद्ध स्थगन आदेश (Stay Order) 14.03.1984 में प्राप्त किया परन्तु केन्द्र सरकार ने पुनः मामला उच्चतम न्यायालय में दायर कर दिया और उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 22.06.1984 को निर्णय दिया कि इस आदेश के किसी भी उलंघन पर अगले आदेशों तक कोई कार्यवाही नहीं होगी। इस स्थगन पर 1994 तक वाद चला और न्यायालय ने सरकार के पक्ष में निर्णय दिया। वास्तव में दिनांक 01.07.1994 से सही तरीके से बीज नियन्त्रण आदेश प्रभावी हुआ।

4. लाइसैंस :–

बीज नियन्त्रण आदेश क्लाज–3 के अनुसार कोई व्यक्ति बिना लाइसैंस प्राप्त किए और उसमें वर्णित शर्तों के बिना बीज का विक्रय, आयात, निर्यात नहीं कर सकता। अतः बीज व्यापारी कृषि विभाग से लाइसैंस बनवाने हेतु फार्म–। में प्रार्थना–पत्र देता है। बीज नियन्त्रण आदेश 1983 के क्लाज 5 द्वारा उचित पड़ताल कर बी–फार्म में लाइसैंस दिया जाता है।

5. शायर अकबर इलाहाबादी :–

बहुत ही मकबूल शायर अकबर इलाहाबादी ने कहा था कि :–

दुनिया में हूँ दुनिया का तलबगार नहीं हूँ,
बाजार से गुजरा हूँ पर खरीदार नहीं हूँ।
जिन्दा हूँ मगर जीस्त (जीवन) की लज्जत नहीं बाकी,
हरचन्द (हालांकि) कि हूँ होश में हुशियार नहीं हूँ।

इसी प्रकार बीज उद्यमी को सरकार के तथा व्यापार के सभी नियम–कायदों की तो होश है परन्तु उनके छलावों, दिग भ्रमित करने वाले रोजाना के फरमानों, चालों से होशयार नहीं है। लेकिन बीज व्यापार में पकड़ बनानी है तो बीज व्यवहारी को सजग रहना होगा और कृषि विभाग के अव्यवहारिक आदेशों द्वारा उत्पीड़न से बचने के लिए संगठनात्मक विरोध करना होगा।

6. दोहन :–

एस.सी.ओ. के क्लाज–5 में उल्लेखित "उचित पड़ताल" के नाम पर बीज उद्यमियों का दोहन एवं उत्पीड़न होता है। इस "उचित पड़ताल" की आड़ में प्रत्येक राज्य, राज्य के प्रत्येक जिले और जिले के लाइसैंसिंग अधिकारी अपनी स्वयं की विवेचनाओं से अनेकों असंगत निष्कर्ष निकाल कर नई– 2 शर्तों द्वारा बीज उद्यमी को जान से तो नहीं मारते परन्तु मरणासन्न कर देते हैं। इस दोहन के कुछ नमूने नीचे उल्लेखित किये जा रहे हैं :–

क. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण :–

उप–निदेशक बागबानी इन्दौर मध्य प्रदेश ने सब्जी बीजों की बिक्री हेतु लाइसैंस स्वीकृति देने के लिए दिनांक 22.05.2015 को पत्र जारी किया कि कृषि स्नातक की डिग्री या डिपलोमा फार्म–। के साथ लगायें। श्री आर.के. त्रिवेदी उप–आयुक्त (गु०वि०) बीज कृषि मन्त्रालय भारत सरकार ने आर.टी.आई. के द्वारा मांगी गई सूचना का दिनांक 12.04.2016 को उत्तर देते हुए स्पष्ट किया कि बीज विक्रय लाइसैंस बनवाने या नवीनीकरण के लिए किसी शैक्षणिक योग्यता की शर्त नहीं है फिर भी बीज विक्रेताओं को परेषान किया जाता है।

ख. फार्म–। में फसलों किस्मों का उल्लेख :–

कृषि विभाग राजस्थान सरकार ने अपने पत्र 24(205द्धआ.कृ./08–09–2212–2292 दिनांक 16.05.2008 से आदेश दिए कि बीज विक्रय लाइसैंस के फार्म–। के पांचवे कॉलम में फसलों के नाम व उनकी किस्में भर कर प्रार्थना–पत्र देना होगा, परन्तु दिनांक 11.09.2009 के द्वारा वापिस लिया गया कि फार्म–। में किस्मों और फसलों को अंकित करना आवश्यक नहीं। यह राजस्थान के बीज उद्योग के सदस्यों के दबाव से हुआ। राजस्थान निदेशालय जयपुर के पत्र दिनांक 01.05.2015 तथा श्रीगंगानगर के उप–निदेशक के पत्र दिनांक 09.06.2015 द्वारा फार्म–। में किस्मों का उल्लेख करना मना किया, परन्तू यदाकदा किसी न किसी उप–निदेशक के दिमाग में ऐसे विचार आते रहते हैं और वे बीज उद्यमियों का इस विशय पर दोहन, उत्पीड़न करते रहते हैं। इसी विषय पर दिनांक 30.12.2020 को पुनः माननीय उच्च न्यायालय अमरावती – आन्ध्र प्रदेश का स्थगन आदेश आया है।

ग. प्रिंसीपल सर्टिफिकेट :–

कर्नाटक राज्य के बीज उत्पादकों को प्रिंसीपल प्रमाण पत्र देने के लिए बाध्य किया तो माननीय उच्च न्यायालय बंगलुरू में याचिका डाली जिसका दिनांक 15.11.1999 को निर्णय आया कि बीज उत्पादक का बीज नियन्त्रण आदेश में उल्लेख ही नहीं केवल बीज विक्रेता को लाइसैंस लेने की बाध्यता है, परन्तु फिर भी बीज उत्पादकों को बीज बेचना होता है इसलिए वे बीज विक्रेता के रूप में पंजीकृत हो सकते हैं। बीज विक्रय लाइसैंस लेने के लिए प्रिंसीपल प्रमाण–पत्र की कोई शर्त नहीं है।

उप–निदेशक कृषि विस्तार जिला परिषद टोंक ने दिनांक 02.12.2014 के पत्र में मुख्यालय के पत्र दिनांक 13.11.2014 का हवाला देते हुए बीज विक्रय लाइसैंस लेने के लिए प्रिंसीपल प्रमाण–पत्र की मांग की।

मध्य प्रदेश सरकार ने भी इसी प्रकार का पत्र दिनांक 23.10.2020 को जारी किया जिसमें लाइसैंस लेने के लिए प्रिंसीपल प्रमाण–पत्र आवश्यक बताया। इनसे आर.टी.आई. के माध्यम से सूचना अपेक्षित है।

बिहार सरकार ने अपने पत्र 2374 दिनांक 02.09.2020 में उल्लेख किया कि बीज विक्रय लाइसैंस लेने के लिए प्रिंसीपल प्रमाण–पत्र/सोर्स सर्टिफिकेट/ आथराईजेशन/एग्रीमैन्ट की आवश्यकता है परन्तू आर.टी.आई. के माध्यम से कृषि विभाग पटना

ने दिनांक 24.02.2021 को सूचित किया कि बीज विक्रय लाइसैंस लेने के लिए किसी भी Principal Certificate, Source Certificate, Agreement या Authorization Letter की आवश्यकता नहीं है।

इसी प्रकार का आदेश कृषि अधिकारी बहराईच उत्तर प्रदेश ने अपने पत्र दिनांक 25.03.2019 द्वारा जारी किया।

माननीय उच्च न्यायालय आन्ध्र प्रदेश ने CWP 18385/2016 का निर्णय देते हुए बताया कि बीज विक्रय लाइसैंस लेने के लिए Source Certificate/Principal Certificate आवश्यक नहीं।

घ. पंजीकरण हेतु किस्मों की क्षमता की सूचना देना :–

राजस्थान सरकार ने दिनांक 10.07.2008 आयुक्त कृषि के पत्र में बीज विक्रेताओं और बीज उत्पादकों के फसलों की क्षमता के आधार पर पंजीकरण कराने के आदेश पारित किए, परन्तू आर.टी.आई. के माध्यम से दिनांक 18.10.2010 द्वारा राजस्थान सरकार ने सूचित किया कि यह स्वैच्छक एवं सुझावात्मक प्रतिक्रिया थी न कि आदेशात्मक।

वास्तव में यह स्वैच्छिक बताया जा रहा है लेकिन प्रभाव आदेशात्मक की तरह पूरे कराये जा रहे हैं। यह बीज विक्रेताओं और बीज उत्पादकों का दोहन है।

ड. किस्मों की ट्रायल कराना :–

कृषि विभाग मध्य प्रदेश ने राज्य की और बाहर की निजी कम्पनियों की गैर अधिसूचित किस्मों की बिक्री हेतू किस्म का इन्द्रा गाँधी कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर से प्रति किस्म 50,000 रुपये ट्रायल खर्च देकर ट्रायल कराने के आदेष दिए। ट्रायल की रिपोर्ट के आधार पर बीज बिक्री की स्वीकृति मिलेगी। यह आदेष सरकार ने पत्र दिनांक 20.05.2005, 30.08.2006 तथा 07.09.2006 द्वारा दिए। माननय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश की इन्दौर बैंच ने रिट याचिका 1255/2007 का निर्णय देते हुए बताया कि आदेश अनाधिकृत है और बीज विक्रय के तरीके में बदलाव केवल बीज नियंत्रक कर सकता है जो कि भारत सरकार का संयुक्त आयुक्त कृषि होता है।

उप–आयुक्त बीज गुणवत्ता नियन्त्रण भारत सरकार शास्त्री भवन ने दिनांक 29.04.2016 को स्पष्ट किया कि किस्मों की ट्रायल न कराने के कारण बिक्री न रोकी जाए क्योंकि बीज नियन्त्रण आदेश एस. सी. ओ. में कहीं ऐसी शर्त नहीं है लेकिन फिर भी गाहे–बगाहे किसी न किसी राज्य में ऐसे आदेश जारी किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने दिनांक 24.11.2020 के द्वारा फिर किस्म की ट्रायल करा कर ही बीज बेचने के आदेश पारित किए।

च. सीड प्रोसेसिंग प्लान्ट के लिए लाइसैंस लेना :–

साधारणतया बीज प्रोसेसिंग प्लान्ट दूर दराज गाँव में होते हैं या फार्म पर होते हैं और बीज बिक्री शहरों या कस्बों से करते हैं। डॉ० दलीप के. श्रीवास्तव ने दिनांक 03.01.2018 को स्पष्ट किया कि वह प्रोसेसिंग प्लान्ट जहाँ बिल नहीं काटे जाते बीज की बिक्री नहीं होती ऐसे प्लान्ट का लाइसैंस जरूरी नहीं।

छ. थोक–खुदरा लाइसैंस :–

जिला कृषि अधिकारी बहराईंच उत्तर प्रदेश ने अपने पत्र दिनांक 25.03.2019 के बिन्दु 9, 10, 11 में थोक एवं खुदरा विक्रेता का उल्लेख है। इसी प्रकार राजस्थान के यादव बीज भण्डार सुजानगढ़ को भी ऐसे ही आदेश पारित किए। बीज नियन्त्रण आदेश में थोक एवं खुदरा बीज विक्रेता का कहीं भी उल्लेख नहीं है।

ज. लाइसैंस की सीमा अधिकारिता :–

बीज नियन्त्र आदेश 1983 की धारा–3 में प्रावधान है कि बीज विक्रय का व्यापार लाइसैंस लेकर किया जायेगा और धारा–5 के आधार पर स्वीकृत किया जाता है, परन्तू कहीं भी अंकित नहीं है कि यह जिले या राज्य या कस्बे शहर के लिए अलग–2 होगा। फार्म–बी पर स्वीकृत लाइसैंस की भाषा का अध्ययन करें तो उल्लेखित है कि यह लाइसैंस बीज बेचने, भण्डारण एवं निर्यात करने के लिए स्वीकृत है। अर्थात् इस लाइसैंस के आधार पर विक्रेता दूसरे देष में बीज बेच सकता है पर अपने देश के दूसरे राज्यों और जिलों में नहीं बेच सकता। अलग–2 जिलों, राज्य स्तर के लिए अलग लाइसैंस लेने को बाध्य करना, यमराज द्वारा सावित्री को पुत्रवती होने का वरदान देना और उसके पति की आत्मा को ले जाने जैसा है। माननीय उच्च न्यायालय आन्ध्र प्रदेश में दायर विभिन्न याचिकाओं की पृष्ठ भूमि में आन्ध्र प्रदेश सरकार का दिनांक 09.05.2017 का पत्र कहता है कि दूसरे राज्य के विक्रेता जो आन्ध्र प्रदेश में अधिकृत विक्रेताओं के माध्यम से बीज विक्रय करते हैं उन्हें नया लाइसैंस लेने के लिए

बाध्य न करें। उप–आयुक्त गु०वि० भारत सरकार शास्त्री भवन ने पूरे देश के लिए दिनांक 29.04.2016 को सूचित किया कि दूसरे राज्य में अलग से लाइसैंस लेने के लिए बाध्य न करें। आर.टी.आई. के उत्तर में भी श्री आर.के. त्रिवेदी उप आयुक्त (गु०वि०) ने दिनांक 25.02.2016 को भी इसी प्रकार स्थिति स्पष्ट की। माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश की इन्दौर शाखा द्वारा दिनांक 03.05.2010 के निर्णय में उप–निदेशक खरगौन के आदेशों के संदर्भ में बताया कि हर जिले में लाइसैंस लेना जरूरी नहीं। जिला कृषि अधिकारी कन्नौज उत्तर प्रदेश ने भी अपने–अपने पत्र दिनांक 23.02.2021 को ऐसे ही आदेश किए। उनसे उत्तर अपेक्षित है। इसी प्रकार का स्थगन आदेश उत्तर प्रदेश बीज व्यापारी सेवा समिति को दोहरे लाइसैंस बारे दिनांक 13.03.2002 से प्राप्त है।

झ. टी.एल. बीज विक्रय :–

यदा कदा कृषि अधिकारियों में सनक पैदा हो जाती है कि टी.एल. बेचना अपराध है और वे टी.एल. बीज बिक्री को रोकने के आदेश पारित कर देते हैं। संचालक कृषि मध्य प्रदेश सरकार ने दिनांक 07.04.2004 की टी.एल. बीज बिक्री पर रोक लगाई परन्तू दिनांक 02.06.2008 को हटा दिया गया। जिला कृषि अधिकारी बहराईच उत्तर प्रदेश के पत्र दिनांक 25.03.2019 के बिन्दु–17 में प्रमाणित और आधार बीज विक्रय की अनुमति दी। पंजाब सरकार ने आर.टी.आई. के उत्तर में दिनांक 08.10.2020 को बताया कि पंजाब में T.L., T.F.L., Labelled और रिसर्च वैराईटी की बिक्री पर कोई रोक नहीं।

मध्य प्रदेश राज्य में बी.टी. कपास का बीज टी.एल. व सब्जियों के लिए लाइसैंस दिया जाता है उनको बन्द किया जाए क्योंकि ये भी सारी तथाकथित रिसर्च किस्में ही हैं। यह तो पुरानी कहावत गुड़ खाये और गुड़याली से आन रखने जैसी है।

ञ. रिसर्च किस्म के बीज की बिक्री :–

वास्तव में रिसर्च किस्म कोई वर्गीकरण नहीं है, यह नामकरण निजी बीज उत्पादक कम्पनियों ने रखा। हरेक किस्म ही रिसर्च किस्म है फिर यह नामकरण कैसा? मध्य प्रदेश के दैनिक भास्कर के संवाददाता को दिनांक 05.05.2019 को कृषि अधिकारियों द्वारा स्पष्ट किया कि रिसर्च वैराईटी को विक्रय की अनुमति नहीं देते। हाल ही में कृषि विभाग मध्य प्रदेश ने फिर ऐसा ही फरमान दिनांक 23.10.2020 को जारी करते हुए बताया कि रिसर्च किस्म के बीज की बिक्री मान्य नहीं है। जिला कृषि अधिकारी बहराईच उत्तर प्रदेश ने भी अपने पत्र दिनांक 25.03.2017 को ऐसे ही भाव व्यक्त किए।

पंजाब सरकार ने रिसर्च वैराईटी बीज विक्रय रोकने के लिए कोई आदेश न होना पत्र दिनांक 08.10.2020 के द्वारा सूचित किया। उप–आयुक्त गु०वि० भारत सरकार, कृषि मन्त्रालय ने दिनांक 30.06.2014 को झारखण्ड सरकार को स्पष्ट करते हुए बताया कि रिसर्च किस्म की बिक्री पर रोक नहीं लगाई जा सकती।

ट. लाइसैंस में किस्मों के नाम अंकित करवाना :–

आन्ध प्रदेश सरकार ने माननीय उच्च न्यायालय आन्ध प्रदेश में दायर विभिन्न याचिकाओं के निर्णयों के सम्बन्ध में पत्र दिनांक 09.05.2017 के द्वारा तेलंगाना सरकार ने आदेश दिए कि लाइसैंस में किस्मों के नाम अंकित करने के लिए दबाव न डाला जाए।

ठ. सीड प्रोसेसिंग प्लान्ट को सील करना :–

मध्य प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था भोपाल ने अपने पत्र दिनांक 05.09.2020 के द्वारा अप्रमाणित बीजों की प्रोसेसिंग में अवरोध पहुँचाने के लिए प्रोसेसिंग मशीनों को सील करने का आदेश पारित किया और इसके आधार पर दिनांक 09.09.2020 को केशव एग्रो माहिदपुर, उज्जैन की मशीनें सील भी कर दी। इसको न्यायालय में भली विधि चुनौती दी जा सकती है क्योंकि मध्य प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था का यह कार्य उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता बल्कि यह कृषि विभाग के Enforecement के तहत आता है, दूसरा अप्रमाणित बीजों यानि T.L., T.F.L., Label बीजों को निरूत्साहित करना है। प्रमाणीकरण तो स्वैच्छिक है जबकि बीजों का Labelling तो आवश्यक। अतः म०प्र० राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था का यह कहना कि हम अप्रमाणित बीज यानि T.L./T.F.L. वर्ग के बीजों को निरूत्साहित करने के लिए कर रहे हैं गलत है क्योंकि संस्था देश के बीज कानूनों की पालना में अड़चन डाल रही है और वे उस जुर्म के लिए उत्तरदायी हैं तथा उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए। यदि प्रोसेसिंग प्लांट पर कुछ नियम विरूद्ध हो रहा है यह कृषि विभाग का कार्य है न कि प्रमाणीकरण संस्था का मशीन सील करना।

नोट :– कृषि विभाग या प्रमाणीकरण संस्थाओं के ऐसे पत्र आते हों तो उनको मेरे Whatsapp No. 94667-46625, 79883-04770 या rbsinghiffdc@gmail.com पर भेजने की कृपा करें, जिससे इस प्रकार की विसंगतियों से अन्यों को भी सजग किया जा सके।